प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 02.10.2026**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0- 666/26 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए बिजली के उपकरण बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30-09-2026 को वादी सुशील पुत्र कालू निवासी ग्राम सरूरपुर कलाँ थाना व जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की ट्यूबैल से 6 डोरी काली करीब दो मीटर , कटाऊट केबल स्टाटर के अन्दर का सामान एक प्लाश एक थैला जिसपर सागरिक लिखा तथा किसान ब्रहम सिंह पुत्र गिरवर निवासी सरूरपुर कलाँ की ट्यूबैल से केबिल करीब 10 मीटर , स्टाटर के अन्दर का सामान व किसान राजेन्द्र पुत्र अजब सिंह के ट्यूबैल से स्टाटर के अन्दर का सामान व लाल डोरी करीब 4 मीटर व केबिल करीब 10 मीटर व किसान चरण सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी सरूरपुर कलाँ की ट्यूबैल से स्टाटर के अन्दर का सामान Bentex मार्का व ऑपरेटर तथा किसान निगम प्रकाश पुत्र भागमल निवासी फैजुलापुर की ट्यूबैल से स्टाटर के अन्दर का सामान Mex मार्का केबिल करीब 4 मीटर, Arkaylite मार्का 4 मीटर, 02 दराती जिनपर निगम प्रकाश लिखा, कटआउट, पेचकश व प्लाश कुम्बल लगाकर चोरी कर लिया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 666/26 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही- **बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0- 666/26 धारा 331(4)/305 (a) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 02 स्टार्टर MEX**

मार्का व उसके अन्दर का सामान, केबिल ARKAYLITE मार्का करीब 04 मीटर, केबिल करीब 01 मीटर, लाल डोरी सिंग्ल फेस करीब 08 फिट, टूटे हुए कटआउट के 07 टुकडे, केबिल थ्री फेस AROMA मार्का लम्बाई करीब 18 मीटर, कटआउट के 20 टुकडे ,01 स्टार्टर BENTEX मार्का के अन्दर का सामान, 02 ऑपरेटर लीड के टुकडे करीब 02 मीटर, केबिल रंग काला 05 मीटर, लाल डोरी करीब 08 मीटर, काली डोरी सिंगल फेस 10 मीटर, 02 कन्ट्रोल ट्रान्सफार्मर BOPARAI मार्का, 01 काला टेप व 01 प्लास्टिक का नीला थैला बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृध्दि की गयी है।

बरामदगी का विवरण -

- 02 स्टार्टर MEX मार्का व उसके अन्दर का सामान, केबिल ARKAYLITE मार्का करीब 04 मीटर, केबिल करीब 01 मीटर, लाल डोरी सिंग्ल फेस करीब 08 फिट, टूटे हुए कटआउट के 07 टुकडे, केबिल थ्री फेस AROMA मार्का लम्बाई करीब 18 मीटर, कटआउट के 20 टुकडे ,01 स्टार्टर BENTEX मार्का के अन्दर का सामान, 02 ऑपरेटर लीड के टुकडे करीब 02 मीटर, केबिल रंग काला 05 मीटर, लाल डोरी करीब 08 मीटर, काली डोरी सिंगल फेस 10 मीटर, 02 कन्ट्रोल ट्रान्सफार्मर BOPARAI मार्का, 01 काला टेप व 01 प्लास्टिक का नीला थैला।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.अहमद पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत हाल पता बडका रोड कस्बा बडौत थाना बडौत उम्र करीब 44 वर्ष।

2.जुबैर उर्फ भूरी पुत्र अय्यूब निवासी बडका रोड कस्बा बडौत थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री कुलजीत सिह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2.है0का0 662 विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3.का0 114 अमित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4.का0 40 अरूण कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 02.10.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 अवैध चाकू, चोरी किये हुए विद्युत उपकरण 03 ट्रांसफार्मर की बडी क्वाइल, टूल बैग, 01 रस्सा व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल स्प्लैण्डर नं0 UP-17-AB-0431 बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 अवैध चाकू, चोरी किये हुए विद्युत उपकरण 03 ट्रांसफार्मर की बडी क्वाइल, टूल बैग, 01 रस्सा व घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल स्प्लैण्डर नं0 UP-17-AB-0431 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 672/26 धारा 317(2) बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा आमजन को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध शस्त्र का प्रयोग न करे तथा लाइसेंसी शस्त्रों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन न करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अवैध शस्त्र का प्रयोग अथवा शस्त्रों का प्रदर्शन किए जाने

का प्रकरण संज्ञान में आता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.हर्ष पुत्र संजय निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी कृष्णा कालोनी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 21 वर्ष।

2.सूरज पुत्र श्याम निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी कृष्णा कालोनी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 19 वर्ष।

3.अक्षित पुत्र प्रदीप निवासी चमरावल रोड कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- **02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 अवैध चाकू।**
- **चोरी किये हुए विद्युत उपकरण 03 ट्रांसफार्मर की बडी क्वाइल, टूल बैग, 01 रस्सा। (मु0अ0सं0 1059/26 धारा 136 विधुत अधि0 एन्टी पावर थैफ्ट थाना बागपत से सम्बन्धित)**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल स्प्लैण्डर नं0 UP-17-AB-0431**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 सीमा सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2.उ0नि0 श्री आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3.है0का0 816 शौकेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4.है0का0 438 बलजीत सिह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5.है0का0 475 करतार सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6.का0 165 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

7.का0 369 विशाल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेसनोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक- 02.10.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 593/26 धारा 109(1)/115(2)/3(5) बी0एन0एस0 में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्तविवरण-

दिनांक 23.08.2026 को थाना बड़ौत पर वादी श्री मदनलाल पुत्र जगबीर सिंह निवासी ग्राम लोयन मलकपुर, थाना बड़ौत, जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. अमित पुत्र करतारा, 2. अमित पुत्र जोगीराम, 3. विकास पुत्र राजेन्द्र एवं 4. राजपाल पुत्र करतारा निवासीगण ग्राम लोयन मलकपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर वादी एवं उसके परिवारीजनों पर लाठी-डंडों, लोहे की रॉड, ईंट-पत्थरों तथा कपड़े धोने वाली थपकी से जान से मारने की नीयत से हमला कर मारपीट की गई। उक्त घटना में वादी के भाई सुभाष एवं मोहित के सिर में गंभीर चोटें आईं तथा वादी के भाई अशोक की स्थिति गंभीर हो गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 593/2026 धारा 109(1)/115(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 593/26 धारा 109(1)/115(2)/3(5) बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त मुकदमें में दिनांक 01.09.2026 को 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

अभियुक्त का नाम व पता-

राजपाल पुत्र करतार सिंह नि0 ग्राम लोयन मलकपुर पट्टी पिछाली थाना बडौत जनपद बागपत उम्र 50 बर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2- है0का0 362 अमरजीत थाना बडौत जनपद बागपत।

3- है0का0 358 बन्टी रावल थाना बडौत जनपद बागपत।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 02.10.2026

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 210/2026 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/132/351(3) बी0एन0एस0 व 07 सीएल एक्ट वृद्धि धारा 115(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध पोनिया .12 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.09.2026 को थाना छपरौली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ककौर कला में प्रथम पक्ष के 1.दाऊद पुत्र नाजर, 2.आजाद पुत्र नाजर, 3.अब्बास पुत्र नाजर, 4.कौसर पुत्र नाजर 5.जावेद उर्फ मोना पुत्र नाजर, 6.सयूब पुत्र अय्यूब व 7.इस्तियार पुत्र अय्यूब निवासीगण ग्राम ककौर कला थाना छपरौली बागपत तथा द्वितीय पक्ष के 1.साजिद पुत्र हनीफ, 2.आसिफ पुत्र साजिद, 3. जुनैद पुत्र साजिद, 4.गुलफाम पुत्र शरीफ, 5.गुलजार पुत्र शरीफ व 6.समीर पुत्र शौकीन निवासीगण ग्राम ककौर कला थाना छपरौली बागपत व दोनों पक्षों के 20-25 पुरुष व महिला अज्ञात द्वारा एक दूसरे पर लाठी डन्डे तथा धारदार हथियारों से जानलेवा हमला व पथराव किया जा रहा है जिस कारण गाँव में अफरा तफरी का माहोल हो गया है तथा दोनों पक्षो द्वारा एक दुसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की जा रही है । उक्त सूचना पर थाना छपरौली पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए घटनास्थल पर पहुंच कर दोनों पक्षो को शांत कराया गया तथा घायालों का मेडिकल करवाया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 210/26 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/132./351(3) बी0एन0एस0 व 07 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में धारा 115(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना छपरौली पुलिस द्वारा पूर्व में 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 210/26 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1)/132/351(3) बी0एन0एस0 व 07 सीएल एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अवैध पोनिया .12 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है । थाना छपरौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-गुलफाम पुत्र शरीफ निवासी ककौर कलां थाना छपरौली जनपद बागपत उम्र करीब 45 वर्ष
2-आसिफ पुत्र साजिद अली नि0 ग्राम ककौर कला थाना छपरौली जनपद बागपत
3-सरफराज पुत्र जमशेद उर्फ जम्मा नगला राई थाना कैराना जिला शामली हाल निवासी ग्राम ककौर कलां थाना छपरौली जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- **घटना में प्रयुक्त 02 अवैध पोनिया .12 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस बरामद**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.वरि0उ0नि0 ओमपाल सिंह थाना छपरौली ।
2.उ.नि. श्री सुजीत कुमार थाना छपरौली ।
3.उ0नि0 सुनील कुमार थाना छपरौली ।
4.है.का. 520 सरफराज खान थाना छपरौली ।
5.है.का. 440 राशिद खान थाना छपरौली ।
6.है0का0 489 सुनील कुमार थाना छपरौली ।
7.है0का0 213 मोहित सैनी थाना छपरौली ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 02.10.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 571/26 धारा 318(3)/338/336(3)/340(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.08.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी डॉ0 मसूद नोडल अधिकारी पी0सी0पी0एन0डी0टी0/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र अनूप सिंह द्वारा अपने नमो विभू अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर के संचालन हेतु फर्जी डिग्रीधारक पूनम सिंह के नाम से आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा पूनम सिंह के शपथपत्र में पंजीकृत चिकित्सक एम0बी0बी0एस0 रजिस्ट्रेशन नं0 79280 एवं पी0जी0 रजिस्ट्रेशन नं0 13115 अंकित किए गए । उक्त प्रकरण में उत्तर प्रदेश मेडिकल काउन्सिल, लखनऊ द्वारा पत्रांक 6056/26 के माध्यम से ई-मेल द्वारा अवगत कराया गया कि रजिस्ट्रेशन संख्या 79280 एवं 13115 कूटरचित एवं जाली हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 571/26 धारा 318(3)/338/340(2)336(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 571/26 धारा 318(3)/338/336(3)/340(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1-निरीक्षक अपराध अश्वनी कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-का0 250 कोमल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-का0 62 अरीब थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-म0का0 643 निकिता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।